

प्रेषक,

डी0एस0गर्ब्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 12 जून, 2015

विषय:- प्रदेश के नगर पालिका परिषदों में पालिका केन्द्रीयित सेवा/पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के पदों के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या:- 756/IV(1)/2015-01(32)/2014 दिनांक 12 जून, 2015 द्वारा निर्धारित नगर पालिका परिषदों की श्रेणीवार मानकों के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड राज्य के नगर पालिका परिषदों के संरचनात्मक ढांचे के पुनर्गठन के उपरान्त पालिका केन्द्रीयित सेवा तथा पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के विभिन्न सेवा संवर्गों में तत्काल प्रभाव से **संलग्नक-1** में उल्लिखित 07 सेवा संवर्ग यथा-पालिका प्रशासी सेवा, पालिका अभियन्त्रण सेवा, पालिका राजस्व सेवा, पालिका लोक स्वास्थ्य सेवा, पालिका लेखा सेवा, पालिका मिनिस्ट्रियल सेवा तथा चतुर्थ श्रेणी संवर्ग में न्यूनतम आवश्यकता के दृष्टिगत पालिका केन्द्रीयित सेवा एवं पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन पदों के सृजन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

1. स्थानीय निकायों में पुनर्गठन के फलस्वरूप स्वीकृत ढांचे में पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत समस्त चतुर्थ श्रेणी संवर्ग, कनिष्ठ सहायक, लेखा लिपिक, कर संग्रहकर्ता/कर एवं राजस्व मौहरीर, मानचित्रकार, पर्यावरण पर्यवेक्षक को छोड़कर उक्त पदों से उच्च स्वीकृत सभी पदों को पालिका केन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत सम्मिलित करते हुए राज्य स्तरीय पालिका केन्द्रीयित सेवा संवर्ग में स्वीकृत किये गये हैं। पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के पदों पर निकायों में कार्यरत समूह 'ग' की निकायवार ज्येष्ठता सूची सम्बन्धित निकायों द्वारा निर्धारित कर निर्गत की जायेगी तथा निकायवार ज्येष्ठता सूची के आधार पर पालिका केन्द्रीयित सेवा के पदों पर पदोन्नति आदि हेतु राज्य स्तरीय ज्येष्ठता सूची निदेशक, शहरी विकास निदेशालय द्वारा निर्धारित कर जारी की जायेगी। उच्च पदों पर नियमानुसार प्रोन्नति/नियुक्ति संगत सेवा नियमावली में आवश्यक संशोधनोपरान्त शासन/निदेशालय द्वारा की जायेगी।
2. स्वीकृत पुनर्गठन ढांचे में पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत समूह "ग" के सीधी भर्ती के पदों पर नियुक्ति हेतु पृथक से संगत सेवा नियमावली प्रख्यापित की जायेगी। नियमावली प्रख्यापित होने तक शासन/निदेशालय के अग्रिम आदेशों तक ऐसे पदों पर किसी भी दशा में कोई भी नियमित नियुक्ति नहीं की जायेगी।
3. पालिका केन्द्रीयित सेवा के सृजित किये गये पदों पर भर्ती की प्रक्रिया उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रचलित (यथा उत्तराखण्ड में प्रवृत्त) संगत सेवा नियमावलियों/नियमों के अधीन की जायेगी। किसी भी

दशा में स्थानीय स्तर पर पालिका केन्द्रीयित सेवा के पदों पर भर्ती, नियुक्ति/प्रोन्नति नहीं की जायेगी।

4. पुनर्गठन के फलस्वरूप स्वीकृत ढांचे में सफाई कर्मचारियों के पूर्व पदनाम को परिवर्तित कर "पर्यावरण मित्र" तथा सफाई नायक के पदनाम को परिवर्तित कर "पर्यावरण पर्यवेक्षक" रखा जाता है।
5. शासन द्वारा दैनिक वेतन/संविदा/तदर्थ आदि नियुक्तियों पर पूर्व में ही प्रतिबन्ध लगाया गया है। अतः स्वीकृत पालिका केन्द्रीयित सेवा/पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के पदों पर किसी भी दशा में दैनिक वेतन/संविदा/तदर्थ नियुक्तियां स्थानीय स्तर पर नहीं की जायेंगी। पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के अन्तर्गत नियमित नियुक्ति होने तक आवश्यकतानुसार स्वीकृत पदों की सीमा तक शासन द्वारा निर्धारित आउटसोर्सिंग एजेन्सी आदि के माध्यम से निकाय अपनी वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत तैनाती की जायेगी। ऐसे तैनात कार्मिकों को तैनाती से पूर्व यह स्पष्ट कर दिया जायेगा कि उनका नियमित नियुक्ति/वेतनमान प्रदान करने का कोई दावा स्वीकार नहीं होगा तथा नियमित नियुक्ति होने पर सम्बन्धित कार्मिक को तत्काल हटा दिया जायेगा।
6. स्वीकृत ढांचे के विरुद्ध यदि किसी भी प्रकार की कोई अनियमित नियुक्ति की जाती है तो सम्बन्धित नगर निकाय के अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे, जिसके लिए सम्बन्धित के विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी और किये गये भुगतान की वसूली सम्बन्धित निकाय के आहरण वितरण अधिकारी से की जायेगी।
7. स्वीकृत किये जा रहे पुनर्गठन ढांचे में पूर्व स्वीकृत चतुर्थ श्रेणी संवर्ग के समस्त पद मृत संवर्ग (डाइंग कैंडर) घोषित होने के दृष्टिगत स्वीकृत ढांचे में ऐसे कार्मिकों में से परिचारक, चौकीदार क्लीनर, बेलदार, को बहुउद्देशीय निकाय कर्मी स्वीकृत किये गये हैं। वर्तमान में ऐसे कार्यरत कार्मिकों की संख्या के अन्तर तक ही बहुउद्देशीय कर्मी आउटसोर्सिंग के माध्यम से रखे जा सकेंगे।
8. निकायों में पूर्व सृजित टोल महोर्रि, भिश्ती, पशुचिकित्सा अधिकारी, वैध/हकीम श्रेणी-3, कम्पाउंडर, दाई, लोहार, मेसन, टीकाकार, मेसन, वन रक्षक, सहाअध्यापिका, लाईब्रेरियन, आदि पदों की आवश्यकता न होने के दृष्टिगत समाप्त किया गया है। उक्त पदों पर वर्तमान में कार्यरत कार्मिक पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे, उनकी सेवा निवृत्ति/मृत्यु के पश्चात सम्बन्धित पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। निकायों में पूर्व से सृजित चतुर्थ श्रेणी संवर्ग सहित अन्य मृत संवर्ग के पदों पर कार्यरत कार्मिक अपने पदों पर बने रहेंगे तथा ऐसे कार्मिकों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। पदधारकों की मृत्यु के उपरान्त मृतक आश्रित को छोड़कर किसी प्रकार की कोई नियमित नियुक्ति नहीं की जायेगी।
9. श्रेणीवार स्थानीय निकायों में स्वीकृत उक्त सेवा संवर्गों में स्थानीय निकायों के स्वीकृत ढांचे में जिन निकायों में पूर्व स्वीकृत पद मानक के आधार पर कम हो रहे हैं, ऐसी निकायों में पूर्व स्वीकृत पद यथावत रहेंगे, किन्तु ऐसे पद धारकों की सेवा निवृत्ति/मृत्यु के फलस्वरूप स्वीकृत पदों की सीमा तक स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मृतक आश्रित को छोड़कर कोई नियमित नियुक्ति नहीं की जायेगी।
10. स्वीकृत ढांचे के अतिरिक्त नगर निकाय अपनी आवश्यकता/आय श्रोतों के दृष्टिगत यदि किसी कार्मिक की तैनाती आउटसोर्सिंग के माध्यम से करना चाहती है, तो इस हेतु सम्बन्धित निकाय द्वारा निदेशालय के माध्यम से शासन की पूर्व अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। शासन की अनुमति

- पश्चात् ही सम्बन्धित कार्मिक को मानदेय आदि का भुगतान सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से वहन किया जायेगा।
11. पुर्नगठन के फलस्वरूप निकायवार स्वीकृत ढांचे का अनुमोदन अनिवार्य रूप से सम्बन्धित नगर पालिका परिषद् द्वारा अपने बोर्ड से प्राप्त किया जायेगा।
 12. शासन द्वारा जनसंख्या आदि के आधार पर विभक्त श्रेणियों, पदों हेतु स्वीकृत/निर्धारित मानकों के आधार पर समय-समय पर नवगठित/उच्चकृत होने वाली स्थानीय निकायों में पालिका केन्द्रीयित सेवा तथा पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के पदों का ढांचा स्वतः लागू होगा।
 13. पालिका केन्द्रीयित सेवा/पालिका अकेन्द्रीयित सेवा के स्वीकृत पुर्नगठन ढांचे में पालिका केन्द्रीयित सेवा संवर्ग के स्वीकृत ढांचे के फलस्वरूप होने वाला अतिरिक्त व्यय भार का भुगतान राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर संक्रमित अनुदान (Devolution Grant) से किया जाता है। स्थानीय निकायों को प्राप्त होने वाले अनुदान के अतिरिक्त कम पड़ने वाले व्ययभार को सम्बन्धित नगर पालिका परिषद् अपने स्वयं के संसाधनों से वहन करेंगी।
 14. उक्त के फलस्वरूप पालिका केन्द्रीयित सेवा के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या-2006/न0वि0/अभि0/2001-264/न0वि0/2001, दिनांक 01 अगस्त, 2001 को **इस** सीमा तक संशोधित समझा जाय।

यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या:- 134(B)/XXXII(2)/2015 दिनांक 11 जून 2015 में प्राप्त सहमति के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

 (डी0एस0गर्ब्याल)
 सचिव।

संख्या:-752 (1)/IV-1/2015, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. आयुक्त गढवाल मण्डल पौडी/कुमार्युँ मण्डल नैनीताल।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
4. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
5. निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाय, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
7. वित्त अधिकारी, साईवर ट्रेजरी, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
8. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. निदेशक, एन.आई.सी, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

10. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त अध्यक्ष/अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, उत्तराखण्ड।
12. गार्ड पत्रावली हेतु।

आज्ञा से,

(डा० वी० षण्मगम)
अपर सचिव।

क्र.सं.	नाम	पद	आवक	निकास
1	15000-38100	5400
2	8300-24800	4200
3	8300-24800	4200
4	8300-24800	4200
5	8300-24800	4200
6	8300-24800	4200
7	8300-24800	4200
8	8300-24800	4200
9	8300-24800	4200
10	8300-24800	4200
11	8300-24800	4200
12	8300-24800	4200
13	8300-24800	4200
14	8300-24800	4200
15	8300-24800	4200
16	8300-24800	4200
17	8300-24800	4200
18	8300-24800	4200
19	8300-24800	4200
20	8300-24800	4200
21	8300-24800	4200
22	8300-24800	4200
23	8300-24800	4200
24	8300-24800	4200
25	8300-24800	4200
26	8300-24800	4200
27	8300-24800	4200
28	8300-24800	4200
29	8300-24800	4200
30	8300-24800	4200
31	8300-24800	4200
32	8300-24800	4200
33	8300-24800	4200
34	8300-24800	4200
35	8300-24800	4200
36	8300-24800	4200
37	8300-24800	4200
38	8300-24800	4200
39	8300-24800	4200
40	8300-24800	4200
41	8300-24800	4200
42	8300-24800	4200
43	8300-24800	4200
44	8300-24800	4200
45	8300-24800	4200
46	8300-24800	4200
47	8300-24800	4200
48	8300-24800	4200
49	8300-24800	4200
50	8300-24800	4200

शासनादेश संख्या 158/IV(1)/2015-01(32)/2014 दिनांक 12 जून, 2015 का संलग्नक-1

नगर पालिका परिषद श्रेणी -1, (कुल निकाय -7)				
निकाय का नाम :-नगर पालिका परिषद- मसूरी, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऋषिकेश, पिथौरागढ़, रामनगर, पौड़ी				
0	पदनाम	पुनर्गठन के पश्चात् पदों की संख्या	वेतन बैण्ड	ग्रेड वेतन
पालिका केन्द्रीयत सेवा				
1	अधिसासी अधिकारी -ग्रेड 1	7	15600-39100	5400
2	अधिसासी अधिकारी-ग्रेड 3 (केवल नैनीताल व मंसूरी मे)	2	9300-34800	4200
3	सहायक अभियंता (सिविल)	7	15600-39100	5400
4	अवर अभियंता (सिविल)	7	9300-34800	4200
5	प्रशासनिक अधिकारी	7	9300-34800	4600
6	प्रधान सहायक	14	9300-34800	4200
7	वरिष्ठ सहायक	21	5200-20200	2800
8	लेखाकार	7	9300-34800	4200
9	सहायक लेखाकार	7	5200-20200	2800
10	मुख्य सफाई निरीक्षक	7	9300-34800	4200
11	सफाई निरीक्षक	14	5200-20200	2800
12	कर एवं राजस्व अधीक्षक	7	9300-34800	4200
13	कर एवं राजस्व निरीक्षक	14	5200-20200	2800
पालिका अकेन्द्रीयत सेवा				
14	मानचित्रकार	7	5200-20200	2800
15	लेखा लिपिक	21	5200-20200	2000
16	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर	42	5200-20200	2000
17	कर संग्रहकर्ता/कर एवं राजस्व माहेरि	28	5200-20200	2000
18	पर्यावरण पर्यवेक्षक (पूर्व नाम सफाई नायक)	42	5200-20200	2000
आउटसोर्सिंग				
19	पर्यावरण मित्र (पूर्व नाम सफाई कर्मचारी)		2 पद प्रति हजार जनसंख्या 2011 के अनुसार	
20	वहुउद्देशीय निकाय कर्मी (परिचारक, चौकीदार, बेलदार, क्लीनर)	175		
21	वाहन चालक		वाहन की उपलब्धता के अनुसार	
22	प्रकाश निरीक्षक	7		
23	लाइनमैन	21		
24	वर्क ऐजन्ट	21		
25	माली	14		

M

नगर पालिका परिषद- श्रेणी-1				
क्र०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	जनसंख्या	पर्यावरण मित्र (पूर्व नाम सफाई कर्मचारी)
1	देहरादून	नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश	70319	141
2		नगर पालिका परिषद, मसूरी	30108	61
3	अल्मोड़ा	नगर पालिका परिषद, अल्मोड़ा	34125	69
4	नैनीताल	नगर पालिका परिषद, नैनीताल	41461	83
5		नगर पालिका परिषद, रामनगर	54812	109
6	पिथौरागढ़	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ़	56102	113
7	पौड़ी	नगर पालिका परिषद, पौड़ी	25435	51
				627

5:- नगर पालिका परिषद, मसूरी, अल्मोड़ा एवं नैनीताल में पूर्व में सफाई कर्मचारी के क्रमशः 157, 175 व 261 पद स्वीकृत हैं। प्रस्तावित मानको के आधार पर उक्त निकायों में सफाई कर्मचारियों (प्रस्तावित नाम पर्यावरण मित्र) के पद क्रमशः 61, 69 व 83 हो रहे हैं। पूर्व स्वीकृत पद इस शर्त के साथ यथावत रहेंगे कि ऐसे पद धारकों की सेवा निवृत्ति/मृत्यु के फलस्वरूप यह पद नये सृजित पदों की सीमा तक धटते रहेंगे, जिन पर कोई नियुक्ति नियमानुसार मृतक आश्रित को छोड़कर नहीं की जायेगी। अतः यह उपरोक्त तीन नगर पालिकाओं के लिए धटता संवर्ग माना जायेगा।

नगर पालिका परिषद श्रेणी -2, (कुल निकाय - 13) निकाय का नाम :- बागेश्वर, जोशीमठ, उत्तरकाशी, श्रीनगर, गोपेश्वर, टिहरी, कोटद्वार, किच्छा, जसपुर, रुद्रप्रयाग, चम्पावत, मुनी-की-रेती, मंगलौर				
क्र०स	पदनाम	पुनर्गठन के पश्चात् पदों की संख्या	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
पालिका केन्द्रीयत सेवा				
1	अधिकांसी अधिकारी-ग्रेड 2	13	9300-34800	4800
2	अवर अभियंता (सिविल)	13	9300-34800	4200
3	प्रधान सहायक	13	9300-34800	4200
4	वरिष्ठ सहायक	26	5200-20200	2800
5	सहायक लेखाकार	13	5200-20200	2800
6	सफाई निरीक्षक	26	5200-20200	2800
7	कर एवं राजस्व निरीक्षक	13	5200-20200	2800
पालिका अकेन्द्रीयत सेवा				
8	लेखा लिपिक	26	5200-20200	2000
9	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर	52	5200-20200	2000
10	कर संग्रहकर्ता/ कर एवं राजस्व माहेरि	39	5200-20200	2000
11	पर्यावरण पर्यवेक्षक (पूर्व नाम सफाई नायक)	52	5200-20200	2000
आउटसोर्सिंग				
12	पर्यावरण मित्र (पूर्व नाम सफाई कर्मचारी)	2 पद प्रति हजार जनसंख्या 2011 के अनुसार		

13	वहुउद्देशीय निकाय कर्मी (परिचारक, चौकीदार, बेलदार, क्लीनर)	260	
14	वाहन चालक		वाहन की उपलब्धता के अनुसार
15	लाइनमैन	26	
16	वर्क ऐजन्ट	26	
17	माली	26	

नगर पालिका परिषद- श्रेणी-2				
क्र0	जनपद का नाम	निकाय का नाम	जनसंख्या	पर्यावरण मित्र (पूर्व नाम सफाई कर्मचारी)
1	बागेश्वर	नगर पालिका परिषद, बागेश्वर	9091	19
2	पौड़ी	नगर पालिका परिषद, श्रीनगर	20091	41
3		नगर पालिका परिषद, कोटद्वार	33031	67
4	चमोली	नगर पालिका परिषद, गोपेश्वर	21444	43
5		नगर पालिका परिषद, जोशीमठ	16551	33
6	उत्तरकाशी	नगर पालिका परिषद, उत्तरकाशी	17480	35
7	रुद्रप्रयाग	नगर पालिका परिषद, रुद्रप्रयाग	9307	19
8	टिहरी	नगर पालिका परिषद, टिहरी	24012	49
9		नगर पालिका परिषद, मुनिकीरेती	27620	55
10	ऊधमसिंहनगर	नगर पालिका परिषद, किच्छा	41810	83
11		नगर पालिका परिषद, जसपुर	50520	101
12	चम्पावत	नगर पालिका परिषद, चम्पावत	11028	23
13	हरिद्वार	नगर पालिका परिषद, मंगलौर	52994	105
				673


नगर पालिका परिषद श्रेणी -3, (कुल निकाय - 12) निकाय का नाम :- दुग्गडा, नरेन्द्रनगर, भवाली, टनकपुर, गदरपुर, धारचुला, शिवालिक नगर, बाजपुर, सितारगंज, बिन्दूखत्ता

क्र0	पदनाम	पुनर्गठन के पश्चात् पदों की संख्या	वेतन बैंड	ग्रेड वेतन
पालिका केन्द्रीयत सेवा				
1	अधिशारी अधिकारी-ग्रेड 3	12	9300-34800	4200
2	अवर अभियंता (सिविल)	12	9300-34800	4200
3	वरिष्ठ सहायक	12	5200-20200	2800
4	सहायक लेखाकार	12	5200-20200	2800
5	सफाई निरीक्षक	12	5200-20200	2800
6	कर एवं राजस्व निरीक्षक	12	5200-20200	2800
पालिका अकेन्द्रीयत सेवा				
	लेखा लिपिक	12	5200-20200	2000
8	कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री आपरेटर	24	5200-20200	2000

9	कर संग्रहकर्ता/कर एवं राजस्व माहेरि	24	5200-20200	2000
10	पर्यावरण पर्यवेक्षक (पूर्व नाम सफाई नायक)	24	5200-20200	2000
आउटसोर्सिंग				
11	पर्यावरण मित्र (पूर्व नाम सफाई कर्मचारी)	2 पद प्रति हजार जनसंख्या 2011 के अनुसार		
12	वहुउद्देशीय निकाय कर्मी (परिचारक, चौकीदार, बेलदार, क्लीनर)	180		
13	वाहन चालक	बाहन की उपलब्धता के अनुसार		
14	लाइनमैन	12		
15	वर्क ऐजन्ट	12		
16	माली	12		

नगर पालिका परिषद- श्रेणी-3				
क्र०	जनपद का नाम	निकाय का नाम	जनसंख्या	पर्यावरण मित्र (पूर्व नाम सफाई कर्मचारी)
1	पौड़ी	नगर पालिका परिषद, दुगडडा	2423	5
2	ऊधमसिंहनगर	नगर पालिका परिषद, सितारगंज	29978	59
3		नगर पालिका परिषद, खटीमा	15087	31
4		नगर पालिका परिषद, बाजपुर	25513	51
5		नगर पालिका परिषद, गदरपुर	19289	39
6		टिहरी	नगर पालिका परिषद, नरेन्द्रनगर	6054
7	नैनीताल	नगर पालिका परिषद, भवाली	6308	13
8		नगर पालिका परिषद, बिन्दूखत्ता	49560	99
9	देहरादून	नगर पालिका परिषद, विकासनगर	13922	27
10	चम्पावत	नगर पालिका परिषद, टनकपुर	17622	35
11	पिथौरागढ़	नगर पालिका परिषद, धारचुला	19289	39
12	हरिद्वार	नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर	17307	35
				446

नगर पालिका परिषदों में वाहन चालक की भर्ती आउटसोर्सिंग के माध्यम से वाहन की उपलब्धता के अनुसार की जाएगी, जिन पालिका परिषदों में नियमित वाहन चालक कार्यरत है वहाँ कार्यरत कार्मिक अपने पदों पर बने रहेंगे तथा ऐसे कार्मिकों की मृत्यु/सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप उक्त पद स्वतः समाप्त हो जायेंगे। ऐसे पदों पर मृतक आश्रितों को छोड़कर कोई नियमित नियुक्ति नहीं की जायेगी व ऐसे पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानक के अनुसार भर्ती की जायेगी।


 (डा०वी०प्रणमम)

अपर सचिव।